


251

359

निम्न - 3375/2018 (सतना) प्रो. प्रो.

राजस्व मंडल (कैम्ब सीन) ग्वाल्दियर (मध्य)

न्यायालय श्री मान,



अधिम श्री नरेंद्र प्रताप पोष्य
आता पेशा 31-5-18

कलेक्टर अफ कोर्ट
सतना म.प्र. प्रो. प्रो.
(कलेक्टर कोर्टी सतना)

- 1:- संदीप कुमार पयासी आओ स्वओ श्री रामकरण पयासी उम्र 35 वर्ष ।
- 2:- श्री मती द्रोपती बाई पयासी पत्नी स्वओ श्री संतोष कुमार पयासी उम्र 55 वर्ष ।
- 3:- श्री मती दुर्गा तिवारी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार तिवारी पुत्री स्वओ श्री संतोष कुमार पयासी उम्र 35 वर्ष। सती निवासी ग्राम छडौरा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना मओ प्रओ, -----

गैर निगराकार गण

बनाम -

- 1:- राकेश कुमार मिश्रा आओ श्री बाबूलाल मिश्रा उम्र 25 वर्ष निवासी छडौरा तहओ बिरसिंहपुर जिला सतना मओ प्रओ,

- 2:- शासन मओ प्रओ -----

गैर निगराकार गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मओ प्रओ काओ मांल

निगरानी बिरुद, आदेश दिओ 11.4.018, पारित दारा न्यायालय श्री मान, कलेक्टर महोदय सतना जिला सतना मओ प्रओ, जरिये प्रओ क्रओ 4/पुर्नबिलोकन /017-018,

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे निम्न है :-

- 1:- यह कि गैर निगराकार क्रओ 1 ने मात्र मओ प्रओ शासन को पक्षकार

(Signature)

(Signature)

11/2/11

Dr. N. K. Tripathi

M.P. Htg
Paurank
S-227712, M.
Reg. No-1017/88


mpur
M.P.)
30/7/352

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3375/18/भू-रा0

जिला-सतना

संदीप कुमार पयासी/राकेश कुमार मिश्रा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तारेन्द्र प्रताप पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 04/पुनर्विलोकन/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	